**संख्या- 2/114 /अडतीस-7-2014-337नरेगा/2012**

**प्रेषक,**

**अशोक कुमार,**
**विशेष सचिव,**
**उ0प्र0, शासन।**

**सेवा में,**

**आयुक्त,**
**ग्राम्य विकास,**
**उ0प्र0, लखनऊ।**

**ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2014**

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश की स्वीकृति ।**

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या- 1275/अडतीस-7-2013-337नरेगा/12 दिनांक: 16-04-2013, शासनादेश संख्या- 1750/अडतीस-7-2013-337नरेगा/12 दिनांक: 11-06-2013, शासनादेश संख्या- 2771/अडतीस-7-2013-337नरेगा/12 दिनांक: 05-09-2013 तथा शासनादेश संख्या- 3422/अडतीस-7-2013-337नरेगा/12 दिनांक: 24-10-2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय- व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 11,12,00,000/-(रूपये ग्यारह करोड बारह लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 10 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्ग निर्देशों/अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाली मदों पर ही किया जायेगा, साथ ही वित्त( आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 28 मार्च, 2013 का अनुपालन भी किया जायेगा।
3. सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवश्यकतानुसार ही अनुमन्य मदों में उपलब्ध करायी जायेगी।
4. कोषागार से धनराशि के आहरण करने पर मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
5. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 13 के लेखा शीर्षक " 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - आयोजनागत-102-सामुदायिक विकास-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(राज्यांश) (के.90/रा.10-रा) 42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-2-04/दस-2014, दिनांक: 09 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

**भवदीय**

**( अशोक कुमार )**
**विशेष सचिव।**

**<u>संख्या- 114 (1)/अड़तीस -7-2014 तददिनांक:-</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/दिवतीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. वित्त( व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. राज्य योजना आयोग-1/2
10. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11. गार्ड बुक।

**आज्ञा से**

**( अशोक कुमार )**

**विशेष सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in